न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 47 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रूपसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत, निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर, राज.		1 भवानीसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत, निवासी देशवाल तहसील मेडता जिला नागौर राज0 2 ग्राम पंचायत ओलादन पंचायत समिति मेडता जिला नागौर जरिये सरपंच

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री महावीर सिंह राठौड, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 17.08.2022

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा मिसल सं. 11 दिनांक 06.06.1997 के जरिए पट्टा सं. 02 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.12.2021 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 23.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री महावीर सिंह राठौड अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 02 की फोटोप्रति, मिसल संख्या 11 की फोटोप्रति, रूपसिंह के आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने बिजली बिल की फोटोप्रति, पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 02 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– हस्तगत पट्टा संख्या 02 / 97–98 सरासर गलत, फर्जी, बिना विधिक कार्यवाही के अप्रार्थी संख्या 1 के दबाव व प्रभाव से तैयार किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)– विवादित स्थल बाडा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तेजसिंह का कब्जासुद हक अधिकार स्वामित्व का होना स्वीकरसुदा तथ्य है तथा यह भी स्वीकारसुदा तथ्य है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्व. तेजसिंह के पुत्रगण है ऐसे में स्व. तेजसिंह जी के देहान्त के पश्चात उक्त बाडे के मालिक स्वतः तेजसिंह के दोनो पुत्रगण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 हुऐ, रहे व है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को अपने छोटे भाई की नबालिग अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर अकेले के नाम कथित पट्टा मिथ्या घोषणा के आधार पर तैयार करवाने व पंचायत को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, इसलिए अपूर्ण उतराधिकारी यानि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा अपने आप में अवैध, शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त बाडे का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 6.6.1997 को ग्राम पंचायत ओलादन के समक्ष जो आवेदन पेश किया, उसमें उसने यह लिखा है कि उक्त बाडा 40–50 वर्षो से कब्जासुद बाडा है जिससे यह साफ जाहिर है कि उक्त बाडा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तेनी बाडा है जिस पर पहले प्रार्थी के पिता का कब्जा स्वामित्व हक अधिकार था व उसके देहान्त के पश्चात उनके दोनो पुत्रगण यानि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा हक अधिकार रहा व है इसलिए भी अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने चालाकी से ग्राम पंचायत को अपने प्रभाव में लेकर व मिलावटी ढंग से छोटे भाई को उसके विधिक हक हिस्से से वंचित करने के दुराशय से छल कपट से कथित पट्टा जारी करवाया हुआ है हो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4) अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाले बाले उक्त पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पेश करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए आवेदन पेश करने के दिन ही आदेशिका / नोटशीट यह दर्ज की कि तीन दिन बाद पंच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने की नोटशीट दर्ज कर दी लेकिन निरीक्षण रिपोर्ट में किसी भी पंचगण के नाम, पिता का नाम, जाति, वल्दियत दर्ज नहीं है न ही पंच नियुक्त करने या पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने की तिथि, दिनांक, वार आदि अंकित है कथित मिथ्या पट्टा जारी करने हेतु कागजी खानापूर्ति करते हुए फर्जी पट्टा जारी किया है।

2(5)– तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को बिना सूचना दिये, बिना किसी प्रकार की आपति आमंत्रित किये दिनांक 06.06.1997 की नोटशीट में आपति पत्र की मियाद खत्म हो जाना अंकित करते हुए, किसी प्रकार की आपति प्राप्त नहीं होने का अंकन करते हुए मिसल वास्ते निर्णय हेतु आगामी बैठक में रख दी। जबकि आपतियां

अपर कलक्टर, नागौर

मांगने के सुचना पत्र में न तो उसके क्रमांक अंकित है न ही आपतियां किस तारीख को आंमत्रित की है उसकी कोई तारीख ही दर्ज है और कब यह कहां चस्पा की गयी उसका भी उल्लेख नहीं है न ही किसी स्वंतत्र मौतबिरान या गवाहान के बयान लिये न उनके हस्ताक्षर करवाये है केवल पंचायत भवन में कागजी खानापूर्ति करते हुए कथित पट्टा जारी किया गया है जिसमें भी पट्टा कब जारी किया गया उसकी तारीख आदि के कॉलम खाली है व उक्त पट्टा किस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उसका नाम भी खाली छोडा हुआ है इस पूर्ण आवश्यक तथ्य दर्ज नहीं किये हुए है मात्र छपे छपाये फार्म पर अपूर्ण इन्द्राज के आधार पर पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरूद्व है तथा अपने कथन के समर्थन में 2015 (1) DNJ (Raj) पेज 443 से 448, 2015 (2) DNJ (Raj) पेज 595 से 599, आरआरटी 2020 (1) पेज 566 से 569, आरआरटी 2019 (1) पेज 37 से 40 तथा आरआरटी 2012 (2) पेज 1265 से 1267 तक नजीरे पेश की।

2(6)– ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली ग्राम पंचायत की बैठक में पेश होने पर उसमें पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा 30–40 सालों से पूर्व का होना अंकित किया है जबकि पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र ही मात्र 24 वर्ष की थी जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा 30–40 वर्षों से नहीं था बल्कि उनके पिता का कब्जा 30–40 वर्षों से था, इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने स्व. तेजसिंह के एक पुत्र के नाम ही पट्टा जारी करने में विधिक त्रुटि व मिलावट करके पट्टा जारी किया गया है।

3–अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने हस्तगत निगरानी सरासर गलत तथ्यों पर आधारित विधि विरूद्व मियाद बाहर पेश की है। हस्तगत पट्टा ग्राम पंचायत ने विधिवत पूर्ण प्रक्रिया की पालना के तहत जारी किया गया है जिसकी प्रार्थी व अन्य सभी को शुरू से ही भलीभांति जानकारी रही है पूर्व में या पट्टा जारी करते समय किसी ने कोई उजर आपति नहीं की न करने का अधिकार था अब प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से नाराजगी रखता है इस कारण नाजायज तंग परेशान करने की नियत से गलत ढंग से विधि सम्मत पट्टा को निगरानी के जरिये चुनोती दी है। निगरानी के तथ्यों में प्रार्थी ने यह सरासर गलत बताया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जासुद पुश्तेनी बाडा ग्राम आबादी देशवाल में आया हुआ है जबकि प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है न ही उक्त बाडा प्रार्थी का पुश्तेनी रहा कब्जासुद रहा था। निगरानी में प्रार्थी ने पडौस भी जानबूझ कर गलत दर्ज किये है। उक्त पट्टा जारी होने के बाद विधिवत ग्राम पचांयत की सहमति लेकर पंजियन हुआ है व रजिस्टर्ड दस्तावेज को इस तरह की निगरानी के तहत चुनौती देने का कोई अधिकार प्रार्थी को नहीं है न ही रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार है इसलिए निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय भी नहीं है विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

3(2)– प्रार्थी ने निगरानी में यह भी सरासर गलत दर्ज किया है कि प्रार्थी के पिता ने सन 1994 मे फौत हो जाने के बाद उक्त बाडा हम दोनो भाईयों के कब्जासुद स्वामित्व का रहता चला आया है। जबकि उक्त जायगा एक मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जासुद स्वामित्व की थी व है तथा उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विधिवत रूप से पुराने समय से विधुत कनैक्शन भी लिया हुआ है जिसकी भी जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है। निगरानी में यह भी गलत दर्ज किया है कि प्रार्थी के नाबालिग होने से अप्रार्थी संख्या 1 ने बाले बाले ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 06.05.1997 को आवेदन पेश कर उक्त बाडे का पट्टा बाले बाले अपने नाम से बनवा लिया हो। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई बाले बाले कार्यवाही नहीं की है। विधिवत आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत ने पंचो की टीम से मौका निरीक्षण करवाया, मौके पर कब्जा की जांच करवाई व नाम चोप एवं पूछताछ के पश्चात प्रस्ताव लेकर विधिवत पट्टा जारी किया गया था, तत्पश्चात उक्त पट्टा को नियमानुसार उप पंजियक कार्यालय में पंजियन भी करवाया था, लेकिन प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं होने से पूर्व में आपति नहीं की न करने का अधिकार था और प्रार्थी कब बालिग हुआ, बालिग होते ही यदि हक अधिकार था तो उसे चुनोती क्यों नहीं दी इस बाबत कोई खुलासा अंकन नहीं है केवल मात्र बनावटी, भ्रमिक मिथ्या अभिवचन दर्ज कर विधि सम्मत पट्टा को चुनोती देकर अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है प्रार्थी का यदि कोई हक अधिकार कब्जा होता तो इतने सालो तक चुप नहीं रहता, जरूर कोई कार्यवाही करता जो पूर्व में नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी हस्तगत पट्टा से संबंधित जायगा से कोई सरोकार नही है अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जासुद स्वअर्जित पट्टासुद जायगा है। उक्त बाडे में जो दो दुकाने बनी हुई है वह अप्रार्थी संख्या 1 की है जिनमें नियमानुसार विद्युत कनैक्शन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी हुआ है तथा आटा चक्की लगी हुई है दुकाने बनात समय विद्युत कनैक्षन के समय प्रार्थी ने कोई आपति नहीं की, ये सारा कार्य एक दो दिन में नहीं हुआ था लम्बा समय लगा था, ऐसी स्थिति में अब निगरानी करके पट्टा को चुनोती दिया जाना कतई उचित, विधि सम्मत नहीं है।

3(3)– प्रार्थी रूपसिंह ने एस.बी.आई बैंक से वर्ष 2012 में ऋण लिया तब अप्रार्थी भवानीसिंह बतौर जामिन था तथा इसी पट्टे को जमानत के रूप मे बैंक में जमा करवाया था तथा उक्त ऋण वर्ष 2016 में चूकता हुआ था. तथा बैंक से पट्टा प्रार्थी ने पुनः प्राप्त किया था, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विधिवत जारी पट्टा की शुरू से ही जानकारी रही है व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा व स्वामित्व होना स्वीकार किया है व अप्रार्थी संख्या 1 से अपने पक्ष में उक्त पट्टा के आधार पर जमानत भी दिलवाई व उस कार्यवाही में भी अप्रार्थी

अपर कलक्टर, नागौर

संख्या 1 के स्वामित्व को स्वीकार किया गया था, इसलिए पूर्व की स्वीकारोक्ति से भिन्न कथन करने से प्रार्थी एस्टोप्ड है।

3(4)– हस्तगत पट्टा उप पंजियक कार्यालय से रजिस्टर्ड है तथा विधिनुसार किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में सुनवाई के क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है ऐसी स्थिति में निगरानी कानूनी प्रावधानों के अनुसार पोषणीय ही नहीं है तथा दर्ज होने योग्य भी नहीं थी व मियाद बाहर भी है उपरोक्त परिस्थतियों में हर दृष्टि से निगरानी हाजा खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि इस तरह से 25 साल बाद किसी पट्टे को चुनोती देकर निरस्त करवाने की मांग की जाने लगी तो ग्राम पंचायतों द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत स्वामित्व दस्तावेज पट्टे जारी करने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा व कभी भी कोई पक्षकार मनमर्जी से झूठे आक्षेप लगाकर पट्टो को चुनोती देकर ब्लेकमेल करने लग जायेगे, जो कतई उचित व विधि सम्मत नहीं है इन परिस्थितियों में निगरानी हाजा विधि विरूद्व व स्पष्ट रूप से मियाद बाहर, बिना हक अधिकार के पेश की होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3(5)–प्रार्थी ने निगरानी में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व सारे आक्षेप झूठे, बनावटी, बिना आधार के दर्ज किये है उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी कोई धमकी प्रार्थी को नहीं दी न देने की आवश्यकता थी, केवल मात्र मिथ्या निगरानी पेश करने के दुराशय से व उसे अन्दर मियाद बतलाने के उद्देश्य से बनावटी तथ्य धमकी आदि देने के दर्ज किये है। यह गलत है कि दिसम्बर 2021 में प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम प्रार्थी को पट्टा की जानकारी हुई हो। जबकि प्रार्थी स्वयं ने एस.बी.आई. बैंके से सन 2012 में लौन लिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को जमानत देने का निवेदन किया व अप्रार्थी संख्या 1 को उसके उक्त पट्टा को जमानती के रूप में बैंक में जमा करवाने का निदन किया तब भाई होने के नाते अप्रार्थी संख्या 1 ने उसकी लौन में जमानत देकर उक्त पट्टा को जमानती/सिक्योरिटी के रूप में बैंक में जमा करवाया व प्रार्थी द्वारा लौन चूकता करने पर प्रार्थी की जानकारी में उक्त पट्टा को वापिस प्रार्थी ने ही प्राप्त किया था जिससे उक्त पट्टा की प्रार्थी को शुरू से ही जानकारी रही है अब दिसम्बर 2021 में जानकारी होने के तथ्य सरासर गलत, हास्यास्पद व झुठे होने से कतई माने जाने योग्य नहीं है स्पष्ट रूप से निगरानी मियाद बाहर विधिविरूद्व होने से निरस्तनीय है।

3(6)– प्रार्थी ने आधार निगरानी के पैरा संख्या में यह गलत दर्ज किया है कि पट्टा संख्या 02/97–98 सरासर गलत, फर्जी, बिना विधिक कार्यवाही के अप्रार्थी संख्या 1 के दबाव व प्रभाव से तैयार किया जोने से खारिज किये जाने योग्य हो। क्योंकि उक्त पट्टा स्थानीय सक्षम निकाय ने सारी प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया व तत्पश्चात उसका पंजियन भी हुआ है और एक विधिक प्रक्रिया के तहत जारी पट्टा को फर्जी होना कतई नहीं माना जा सकता है न ही ऐसा कहने का प्रार्थी को अधिकार है न ही प्रार्थी के कह देने मात्र से कोई वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज फर्जी होना कतई नहीं माना जा सकता है न ही ऐसा कहने का प्रार्थी को अधिकार है न ही प्रार्थी के कह देने मात्र से कोई वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज फर्जी होना माना जा सकता है।

3(7)–निगरानी के अनुच्छेद संख्या 2 में वर्णित तथ्य भी लगत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने छोटे भाई की नबालिग अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर अकेले के नाम कथित पट्टा मिथ्या घोषणा के आधार पर तैयार करवाने व पंचायत को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, इसलिए अपूर्ण उतराधिकारी यानी अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा अपने आप में अवैध, शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य हो। जबकि उक्त जायगा शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 के ही कब्जासुद हक अधिकार की थी व ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर जांच की, पंचो की टीम से निरीक्षण करवाया, निरीक्षण रिपोर्ट लेकर आपति आंमत्रित करने व सारी विधिक कार्यवाही के पश्चात पटटा जारी किया है प्रार्थी का न तो कभी कब्जा हक अधिकार रहा न आज दिन है इसलिए प्रार्थी को उक्त पट्टा को चुनोती देने का अधिकार नहीं है।

3(8)–निगरानी के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत ने जो आवेदन पेश किया, वह नियमानुसार व वास्तविक तथ्यों का पेश किया था, मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का ही था व पुराने कब्जे के आधार पर ही पट्टा जारी होता है अप्रार्थी ने कोई चालाकी नहीं की है न ही ग्राम पंचायत को अपने प्रभाव में लेकर व मिलावटी ढंग से पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने भाई प्रार्थी का समय समय पर हर तरह से सहयोग किया है जिसका खामियाजा अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतना पड रहा है व उस सहयोग के बदले इस तरह के झूठे आरोप लगाकर अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान करना प्रार्थी की बदनियती व स्वार्थी होने की भावना को स्पष्ट प्रकट करता है। प्रार्थी जब इस तरह का तथ्य दर्ज कर रहा है जो सन 2012 में एस.बी.आई. बैंक से लोन लिया तब अपने भाई द्वारा उसकी जमानत देने व उक्त पट्टा को जमानती के रूप में बैंक जमा कराने व उस समय प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा को सही मानने आदि के तथ्य दर्ज क्यों नहीं किये है उनको क्यों छुपाये है इसका कोई माकूल व पर्याप्त कारण नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा दर्ज किये गये तमाम आक्षेप बनावटी, झूठे होने से अस्वीकार है माने जाने योग्य नहीं है।

3(9)– निगरानी के आधार संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाले वाले उक्त पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पेश करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए आवेदन पेश करने के दिन ही आदेशिका/नोटशीट यह दर्ज की कि तीन दिन बाद पंच

अपर कलक्टर, नागौर

कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने की नोटशीट दर्ज कर दी, जिससे पट्टा निरस्त हो। जबकि सारी कार्यवाही एक विधिक प्रक्रिया के तहत हई है पंचगण के नाम, पिता का नाम, जाति, वल्दियत दर्ज करना कई आज्ञापक नहीं होता है कागजी खानापूर्ति करने का आक्षेप गलत है स्थानीय निकाय की विधिक प्रक्रिया को चुनोती देने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है गांवों में सारे पट्टे इसी अनुसार जारी किये जाते है व यही प्रावधान है। प्रार्थी ने भ्रमित तथ्य दर्ज कर निगरानी पेश की है।

3(10)– निगरानी के आधार संख्या 5 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को बिना सुचना दिये, बिना किसी प्रकार की आपति आमत्रित किये दिनांक 06.06.1997 की नाटशीट में आपति पत्र की मियाद खत्म हो जाना अकित करते हुए, किसी प्रकार की अपाति प्राप्त नहीं होने का अंकन करते हुए मिसल वास्ते निर्णय हेतु आगामी बैठक में रख दी। जबकि विधिवत आपति सूचना गांव में दी गयी व प्रार्थी को भी शुरू से ही जानकारी रही है एक तरफ तो प्रार्थी उस समय अपने आप को नाबालिग बता रहा है दुसरी तरह उसे सूचना नही देने का कथन कर रहा है जो अपने आप में विरोधाभाषी कथन है माने जाने योग्य नही है। यह गलत है कि केवल पंचायत भवन में कागजी खानापूर्ति करते हुए कथित पट्टा जारी किया गया हो। जबकि एक वैध पट्टा जारी करने के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया होती है वह सारी प्रक्रिया इस पट्टा को जारी करने से पूर्व अपनाई गयी है व बाद में उप पंजियक के समक्ष सहमति प्रकट की व उप पंजीयक ने भी जांच पर पट्टा का पंजियन किया है, उप पंजियक को निगरानी में पक्षकार भी नहीं बनाया है व अनावश्यक आक्षेप लगाकर निगरानी पेश की है जो पोषणीय नहीं है।

3(11)– निगरानी के आधार संख्या 6 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी बार बार असत्य तथ्यों की पुनरावृति कर रहा है अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का मौके पर पुराने समय से कब्जा होने से बाद जांच विधिवत पट्टा जारी किया गया था।

3(12)– निगरानी के पैरा संख्या 7 में यह गलत लिखा है कि निगरानी माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की हो। जबकि हस्तगत पट्टा रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करवाने की निगरानी कतई न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की नहीं है रजिस्टर्ड दस्तावेज को विविल न्यायालय में ही चुनोती दी जा सकती है। इसलिए भी निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है खारिज योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत ओलादन के मिसल सं. 11 दिनांक 06.06.1997, के जरिए पट्टा सं. 02 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 03 के आवेदन में अप्रार्थी संख्या 01 ने बताया कि वह 40–50 वर्षों से उक्त आराजी में रह रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तेनी जायगा है, पत्रावली पृष्ठ संख्या 05 "सूचना पत्र" में दिनांक अंकित नहीं है न ही अप्रार्थी संख्या 01 के पिता का नाम अंकित है तथा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 06 "निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण" में पंचगण के नाम अंकित नहीं है तथा दिनांक व समय का कॉलम भी रिक्त है जिससे प्रतीत होता है कि केवल कागजी खाना पूर्ति कर पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत ओलादन, पंचायत समिति, मेडता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ओलादन द्वारा मिसल सं. 11 दिनांक 06.06.1997 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 भवानी सिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 02 जारी किया गया के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर